20/8/24 उपस्थित प्रार्थी एवं पैरोकार उपस्थित।
उपरोक्त प्रार्थी द्वारा नाम परिवर्तन
हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया
जो धारा 136 LR Act के तहत
पोषणीय नहीं है। उपस्थित प्रार्थी
ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि प्रकरण में नामान्तरकरण
की अपील के प्रावधान होने से
धारा 136 में सहवन से पेश
हुआ है, इस कारण इस प्रकरण को
न्याय हित में धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु
एक्ट के तहत निस्तारित किया जाना
न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र
स्वीकार करते प्रकरण धारा 75 भू राजस्व
अधिनियम के तहत निस्तारित किए जाने
का आदेश फरमावें प्रार्थना पत्र शामिल
मिसल किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया
पत्रावली में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
नकल नामा० संख्या 3551 का अवलोकन
किया गया। उक्त नामान्तरकरण को
तहसीलदार द्वारा निर्णित किया गया है।
तहसीलदार द्वारा निर्णित किए गए नामान्तरकरण
के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार
इस न्यायालय को नहीं होने से
प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार किया जाकर
प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप
की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)